दिनांक 18 नवंबर 2019 को सुबह 11:00 बजबराद सदन बैठक कक्ष में महाविद्यालय विकास परिषद की 12वीं बैठक क कार्यवृत्त

महाविद्यालय विकास परिषद की 12वीं बैठक का आयोजन दिनांक 18 नवंबर 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन बैठक कक्ष में किया गया था। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2. श्री देवाशीष पाल वित्त अधिकारी	-	सदस्य
3. प्रो. ए.एस.चंदेल पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
4. श्री पी.के. सरकार परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
5. प्रो. एन. सत्यनारायण वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ. लक्ष्मण शर्मा डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
7. डॉ. पारसुराम पौड्याल प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय, नामची	-	सदस्य
8. डॉ. आरती छेत्री प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय, गंगटोक	-	सदस्य
9. डॉ. सत्यदीप छेत्री	-	सदस्य
सह प्राध्यापक, एनबीबीबीडी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
10. श्री टी.के.कौल सचिव	-	पदेन सचिव

प्रो. इरशाद गुलाम अहमद अंग्रेजी विभाग, निदेशक (उ.शि), एचआरडीडी, सिक्किम सरकार और श्रीमती केसांग डोमा भूटिया, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग बैठक में उपस्थित नहीं रह सके। संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद एजेंडा के विषयों पर चर्चा शुरू की गई।

खंड – 1

कार्यवृत्त की पुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

सडसि12.1.1: दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 11वीं बैठक क कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त 10 जून 2019 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 10 जून 2019 को परिचालित किए जाने के अनुसार दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

सीडीसी**12.1.2:दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की11वीं बैठक का कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट**

सचिव ने दिनांक 31 मई 2019 को आयोजित परिषद की 11वीं बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की।

चर्चा के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

खंड – 2
सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड – 3
अनुसमर्थित विषय

सीडीसी **12.3.1:** बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा औषधि एवं शल्य चिकित्सा (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण प्रारूप

नामग्याल तिब्बतीय संस्थान (एनआईटी) ने शैक्षणिक सत्र 2019 से सोवा रिग्पा औषधि और शल्यचिकित्सा (बीएसआरएमएस) में साढ़े पांच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, कुलपति ने सुविधाओं के निरीक्षण के लिए वर्ष 2012 में यथासंशोधित यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 के तहत तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 के प्रावधानों के तहत एक निरीक्षण दल का गठन किया। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2019 के पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 15 छात्रों के प्रवेश के साथ नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान को बीएसआरएमएस में स्नातक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

विश्वविद्यालय में निरीक्षण के दौरान सोवा-रिग्पा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक सूचना दर्ज करने के लिए निरीक्षण टीम द्वारा उपयोग किए जाने के लिए निरीक्षण प्रारूप नहीं था। इसलिए, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) विनियम, 2017 के आधार पर एक निरीक्षण प्रारूप तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय ने दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को निर्धारित निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा उपयोग के लिए प्रारूप निरीक्षण प्रारूप को पहले ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

परिषद ने निरीक्षण प्रारूप को मंजूरी दी, बशर्ते कि प्रारूप के खंड-क की क्रम सं III में महाविद्यालय के नाम किसी भी बैंक में सावधि जमा दर्ज करने के प्रावधान शामिल किया जाए और परिषद ने बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान (एनआईटी) के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रारूप के उपयोग के लिए अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय की कार्रवाई की भी पुष्टि की।

खंड – 4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी**12.4.1:** **शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, सोचेकगांग, गंगटोक, सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चिसोपानी, साउथ सिक्किम और सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय, साजोंग, रूमटेक, ईस्ट सिक्किम की अस्थायी संबद्धता**

सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय**,** सोचेकगांग**,** गंगटोक**,** सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान**,** चिसोपानी**,** साउथ सिक्किम और सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय**,** साजोंग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया था। विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी -1 की धारा 13 में कहा गया है कि *'अस्थायी संबद्धता केवल एक वर्ष के लिए वैध रहेगी और इसे हर वर्ष नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी'।*

तदनुसार**,** 2012 में यथासंशोधित यूजीसी विनियमन 2009 के खंड 4.6 के तहत दिनांक 15 जुलाई 2019 को जारी कार्यालय आदेश के तहत निरीक्षण टीमों का गठन किया गया था**,** जिन्होंने क्रमशः 23**,** 24 और 29 जुलाई 2019 को इन महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीमों ने सत्र 2019-20 के लिए उपरोक्त कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट इस शर्त के साथ प्रस्तुत की कि वे महाविद्यालयों की संबद्धता से संबंधित विश्वविद्यालय के मानदंडों**,** शैक्षणिक कैलेंडर**,** शिक्षण कार्यक्रम**,** मूल्यांकन विधियों और अन्य आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करेंगे।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सभी तीन महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र **2019-20** के लिए अस्थायी संबद्धता के अनुमोदन की सिफारिश की, बशर्ते कि निम्नलिखित प्रत्येक मामले में निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसित शर्तों के अनुपालन फरवरी/मार्च 2020 में निर्धारित अगले निरीक्षण के समय अथवा उससे पहले किया जाएँ।

1. **सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय, साजोंग**
   क) महाविद्यालय में पूर्णकालिक प्राचार्य होंगे।
   ख) प्रयोगशाला उपकरणों, अभिकर्मकों, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद की प्रक्रिया को पूरा करें।
   ग) स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान।
2. **सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चिसोपानी**
   क) महाविद्यालय में पूर्णकालिक प्राचार्य होंगे।
   ख) यूजीसी/एआईसीटीई के नियमों के अनुसार नियमित आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति।
   ग) एसआईएसटी एक अलग पुस्तकालय, संगोष्ठी हॉल, कॉमन रूम, कैंटीन और छात्रावास के लिए काम करेगा।
3. **सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, सोचेकगांग**
   क) महाविद्यालय में पूर्णकालिक प्राचार्य होंगे।
   ख) महाविद्यालय भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा संबद्धता प्रदान करने के संबंध में सूचित करेगा।

स□ड□स□ 12.4.2: नामच□ सरकार□ महाविद्यालय की स्थाय□ संबद्धता हत□ु निर□क्षण दल की रिपोर्ट

नामची सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य ने निर्धारित प्रारूप में रू. **1,80,200** के अपेक्षित शुल्क सहित महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता के लिए प्रस्ताव भेजा था। विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी -1 की धारा 15 में कहा गया है कि *"एक महाविद्यालय/संस्थान जिसे पांच साल के लिए अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई है और समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता है, वह स्थायी संबद्धता के लिए निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है।* यूजीसी विनियम, **2009 (2012** में यथा संशोधित) के अनुसार स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं।

क) महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने और शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को प्राप्त करने के बाद कम से कम पांच साल का संतोषजनक प्रदर्शन पूरा करना होगा।

ख) महाविद्यालय ने विनियमों में निर्धारित के अनुसार भवनों और सभी बुनियादी संरचनाओं/सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया होगा।

ग) सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को यूजीसी/सरकारी वेतनमान पर स्थायी (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाता है।

घ) महाविद्यालय में नियमों के अनुसार एक विधिवत गठित महाविद्यालय परिषद होगी।

ङ) महाविद्यालय नैक या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य वैधानिक मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।

तदनुसार, पात्रता मानदंड और सुविधाओं को सत्यापित करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए यूजीसी विनियम, 2009 (2012 में संशोधित) के खंड 4.6 के तहत दिनांक 4 सितंबर 2019 को जारी कार्यालय आदेश सं 285/2019 द्वारा किया गया था। प्रो. एस. एस. महापात्र की अध्यक्षता में टीम ने 23 सितंबर 2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और शैक्षणिक सत्र 2020-21 से स्थायी संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य महाविद्यालय के बारे में शैक्षणिक परिषद के समक्ष एक प्रस्तुति दे सकते हैं। निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के शर्त पर परिषद ने स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक परिषद से सिफारिश की।

क) छात्रावासों एवं क्वार्टरों में जल आपूर्ति का कार्य अविलम्ब पूर्ण करें।

ख) यूजीसी के वेतनमान के साथ नियमित आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें।

ग) अपशिष्ट निपटान प्रणाली का पर्याप्त प्रबंधन।

स□स□12.4.3:सरकार□महाविद्यालय, रिनॉक को स्थाय□सम्बद्धता प्रदान करन□हेतु निर□क्षण दल की रिपोर्ट

शासकीय महाविद्यालय, रिनॉक के प्राचार्य ने निर्धारित प्रारूप में रू. **1,80,200** के अपेक्षित शुल्क सहित महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता के लिए प्रस्ताव भेजा था। विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी -1 की धारा 15 में कहा गया है कि *"एक महाविद्यालय/संस्थान जिसे पांच साल के लिए अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई है और समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता है, वह स्थायी संबद्धता के लिए निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है।* यूजीसी विनियम, **2009 (2012** में यथा संशोधित) के अनुसार स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं।

क) महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्राप्त करने और शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को प्राप्त करने के बाद कम से कम पांच साल का संतोषजनक प्रदर्शन पूरा करना होगा।
ख) महाविद्यालय ने विनियमों में निर्धारित के अनुसार भवनों और सभी बुनियादी संरचनाओं/सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया होगा।
ग) सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को यूजीसी/सरकारी वेतनमान पर स्थायी (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाता है।
घ) महाविद्यालय में नियमों के अनुसार एक विधिवत गठित महाविद्यालय परिषद होगी।
ङ) महाविद्यालय नैक या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य वैधानिक मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।

तदनुसार, पात्रता मानदंड और सुविधाओं को सत्यापित करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए यूजीसी विनियम, 2009 (2012 में संशोधित) के खंड 4.6 के तहत दिनांक 16सितंबर 2019 को जारी कार्यालय आदेश सं 295/2019 द्वारा किया गया था। प्रो. एन. के. पासवान की अध्यक्षता में गठित निरीक्षण टीम ने 20 सितंबर 2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य महाविद्यालय के बारे में शैक्षणिक परिषद के समक्ष एक प्रस्तुति दे सकते हैं। निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के शर्त पर परिषद ने स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक परिषद से सिफारिश की।

क) प्राचार्याओं एवं शिक्षकों के क्वार्टरों को अविलम्ब पूर्ण करना।
ख) यूजीसी के वेतनमान के साथ नियमित आधार पर शिक्षकों की तत्काल आधार पर नियुक्ति।

स□स□12.4.4: बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जर□(बी□एसआरएमएस) कोर्स शुरू करन□के□लिए नामग्याल इंस्ट□ट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉज□(एनआईट□)की निर□क्षण रिपोर्ट

नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) ने फरवरी 2019 में शैक्षणिक सत्र 2019 से सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) में साढ़े पांच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। चूंकि बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनियमित है, विश्वविद्यालय ने संस्थान को नियामक प्राधिकरण से पाठ्यक्रम की प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए आवेदन

करने की सलाह दी। तदनुसार,सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) ने 25-26 जुलाई 2019 को संस्थान का निरीक्षण किया और शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए 15 सीटों के प्रवेश क्षमता के साथ स्नातक (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्रम के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की। आयुष के दिनांक 16 अगस्त 2019 के अनुमति पत्र में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति और एक निरीक्षण दल द्वारा उसके सत्यापन के शर्त पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगे की अनुमति दी जा सकती है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनआईटी को दी गई सशर्त अनुमति के आधार पर वर्ष 2012 में यथासंशोधित यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 के तहत तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 के प्रावधानों के तहत कुलपति ने सुविधाओं की जांच करने के लिए एक निरीक्षण टीम का गठन किया। प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग की अध्यक्षता में गठित निरीक्षण दल ने दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को संस्थान का दौरा किया और शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एनआईटी में बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने 2020-21 से संस्थान की कानूनी स्थिति जैसे क्या यह एक सरकारी संस्थान है या एक ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा संचालित संस्थान है की पुष्टि की जाने के शर्त पर वर्ष 2020-21 से अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश की।

स□स□12.4.5: लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामच□में एम.फिल/प□एचड□पाठ्यक्रम शुरू करन□क□लिए नर□क्षण दल की रिपोर्ट

लोयोला शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने एम.फिल और पीएचडी में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित प्रारूप में रुपये 14,580/- के शुल्क के साथ प्रस्ताव दिया था। महाविद्यालय स्थायी रूप से सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध है और शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) और एमए (शिक्षा) कार्यक्रम प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 की खंड 11 और यूजीसी विनियम, 2009 (2012 में यथासंशोधित) की धारा 4.6 के तहत कुलपति ने प्रो. अभिजीत दत्ता, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षण पदों, शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं, पुस्तकालय आदि का सत्यापन करने के लिए चार सदस्यीय निरीक्षण दल का गठन किया। ।

निरीक्षण दल ने दिनांक 5 नवंबर 2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षकों की पर्याप्त और न्यूनतम पात्रता, पुस्तकालय, बुनियादी सुविधाओं और महाविद्यालय के पिछले पांच वर्षों में 100% सफलता दर के आधार पर निरीक्षण दल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लोयोला शिक्षा महाविद्यालय में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की।

विचार-विमर्श के बाद, कोर्स वर्क पर स्पष्टीकरण के अधीन एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद को सिफारिश की।

अध्यक्ष द्वारा ध्यानवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(ट□.क□.कौल)	**(प्रो. अविनाश खर□)**
कुलसचिव एवं सचिव, स□ड□स□	**कुलपति एवं अध्यक्ष, स□ड□स□**